RNo - 556/17
17-10-17

To:

Page:1

ई-मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संख्या:डीजी-चार-102(01)2017/वर्दी

दिनांक:लखनऊ:अक्टूबर 14,2017

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय: सेवानिवृत्त अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी को ''रैतिक अवसरों'' पर वर्दी धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

(3)

कृपया अपर पुलिस महानिदेशक'मुख्यालय' उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या:सम्पूर्ति-दो-वर्दी निर्देश-2017, दिनॉक: 26.09.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरान्त अराजपत्रित अधिकारियों के लिये 'रैतिक अवसरों' अथवा सरकार की सेवा के लिये बुलाये जाने पर उस पद की वर्दी धारण किये जाने के सम्बन्ध में सामान्य आदेश जारी करते हुये कार्यवाही किये गये की अपेक्षा की गयी है।

(542)

2- अपर पुलिस महानिदेशक'मुख्यालय' उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के उक्त जारी निर्देश के प्रस्तर-2 में अंकित सामान्य आदेश का आशय यह है कि सेवानिवृत्त अराजपत्रित अधिकारियों को पेंशन के समय जो वर्दी धारण कर रहे थे, रैतिक अवसरों पर वर्दी धारण किये जाने की अनुमति पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

S.P.(HQ) कृपया तदनुसार उक्त दिशा निर्देश से समस्त अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी को सम्पूर्ति-II अवगत कराकर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

14/10/17
(एस0बी0 शिरडकर)
पुलिस महानिरीक्षक'स्थापना'
उत्तर प्रदेश।

अपर पुलिस महानिदेशक
उ० प्र० पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद 14/10/17

प्रतिलिपि: अपर पुलिस महानिदेशक'मुखालय' उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उनके उक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- प्रतिलिपि: पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/0

सम्पूर्ति

श्रीमती मंजू

SPHQ
16/10/17

16-10-17

Scanned with CamScanner